प्रेस नोट **30/03/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 04 दोषसिद्ध अभियुक्त 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,500-6,500 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट चतुर्थ जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-03-2024 को, मु0अ0सं0 838/2007 धारा 307,323,428,429,504,506 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त जयराम, जयप्रकाश, रामाश्रय पुत्रगण चईत्तर, भृगु पुत्र खेमकरन निवासीगण खैरादेवारा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹6500-6500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त आजीवन कारावास व ₹41500-41500 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय कोर्ट तृतीय जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-03-2024 को, मु0अ0सं0 564/2005 धारा 323,504,506,304 भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त केदार चौहान पुत्र हीरा चौहान, राजेन्द्र चौहान, रामचन्द्र चौहान पुत्रगण केदार चौहान निवासीगण कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹41500-41500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नन्दलाल भारती, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

◆एंटीरोमियो टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में किया गया जागरूक

आज दिनांक 30.03.2024 जनपद मऊ के विभिन्न थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन/महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाये जा रहे पुलिस की महिला सुरक्षा सम्बंधी विभिन्न महिला हेल्प लाइन 1090, यूपी-112, हेल्पलाइन नम्बरों 1076 आदि के बारे में जागरूक किया तथा उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल कर पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 30.03.2024 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धरमशीरपुर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 01/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजेश पुत्र क्याम सिंह निवासी कोधारा थाना एका जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।